

14-6-24 पञ्चायती पेठा हुई। वकील
डिक्रीदार उपलब्ध। मामा 0 सं.
643 दिनांक 18-01-2024 की पालिपेठा
हुई। लखीलदार रेवड़ी ने उक्त
मामा उर्ज कर 0 मामा ल म निर्णय
दिनांक 17-10-2023 की पालना कर
दी है। पञ्चायती में अब अन्य कोई
कार्यवाही शेष नहीं है। कल: मिसल उर्ज
गम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।



उपस्थित अधिकारी, लखड़ी